रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042022-235040 CG-DL-E-11042022-235040

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] No. 280] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2022/चैत्र 21, 1944 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2022/CHAITRA 21, 1944

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 294(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 की, अनुसूची-। में,—
- (i) प्ररूप च1 और प्ररूप छ1 में, "@प्रेषित किए गए आरओएम अयस्क के श्रेणी:" उप-शीर्षक के अधीन सारणी में, "लौह अयस्क" शीर्षक वाली पंक्ति और उससे संबंधित तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:¬

"खनिज	श्रेणियां
लौह अयस्क	क) 45% Fe आरओएम से नीचे (केवल मैग्नेटाइट अयस्क के लिए)
	ख) 45% से 51% Fe आरओएम से नीचे
	ग) 51% से 55% Fe आरओएम से नीचे

2582 GI/2022 (1)

घ) 55% से 58% Fe आरओएम से नीचे
ङ) 58% से 60% Fe आरओएम से नीचे
च) 60% से 62% Fe आरओएम से नीचे
छ) 62% से 65% Fe आरओएम से नीचे
ज) 65% और Fe आरओएम से ऊपर";

(ii) प्ररूप च1, प्ररूप छ1, प्ररूप ठ और प्ररूप ड में,—

(क) उप-शीर्षक के अधीन सारणी में,"** उपरोक्त सारणी में दिए गए खनिजों में सूचित किए जाने वाले खनिजों की श्रेणियां निम्न सारणी में दिए गए हैं। (यदि नीचे श्रेणी अलग से नहीं दिखाएं गए है, खनिज के नाम के समक्ष श्रेणी दर्शाएं):" "लौह अयस्क" शीर्षक वाली पंक्तियों और उससे संबंधित तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

"खनिज	श्रेणियां
लौह अयस्क	(i) एकमुश्तः
	क) 45% Fe से नीचे (केवल मैग्नेटाइट अयस्क के लिए)
	ख) 45% से 51% Fe से नीचे
	ग) 51% से 55% Fe से नीचे
	घ) 55% से 58% Fe से नीचे
	ङ) 58% से 60% Fe से नीचे
	च) 60% से 62% Fe से नीचे
	छ) 62% से 65% Fe से नीचे
	ज) 65% और Fe से ऊपर
	(ii) फ़ाइंस:
	क) 45% एफई से नीचे (केवल मैग्नेटाइट अयस्क के लिए)
	ख) 45% से 51% Fe से नीचे
	ग) 51% से 55% Fe से नीचे
	घ) 55% से 58% Fe से नीचे
	ङ) 58% से 60% Fe से नीचे
	च) 60% से 62% Fe से नीचे
	छ) 62% से 65% Fe से नीचे
	ज) 65% और Fe से ऊपर
	(iii) सांद्रण
	(iv) कैलिब्रेटेड लम्प अयस्क (सीएलओ)
	(लम्पों के लिए पूर्व में सूचित मात्रा सीएलओ के अधीन सूचित न की जाए)
	क) 62% Fe से नीचे (सीएलओ कोई भी आकार)

ख) 62% से 65% Fe से नीचे (5-18 एमएम आकार का सीएलओ)
ग) 62% से 65% Fe से नीचे (10-40 एमएम आकार का सीएलओ)
घ) 62% से 65% Fe से नीचे (अन्य सीएलओ)
ङ) 65% और उससे ऊपर Fe (5-18 एमएम आकार का सीएलओ)
च) 65% और उससे ऊपर Fe (10-40 एमएम आकार का सीएलओ)
छ) 65% और उससे ऊपर Fe (अन्य सीएलओ)".

(ख) सारणी के अंत में, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण.— 45% Fe से नीचे किसी प्रकार का हेमेटाइट लौह अयस्क, लेकिन उपरोक्त मूल्य से ऊपर को, '45% से 51% Fe से नीचे' की श्रेणी स्लैब में सम्मिलित किया जाएगा।"।

[फा. सं. एम.VI-16/130/2021-खान VI] डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 169(अ), तारीख 27 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि.780(अ), तारीख 3 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2022.

- **G.S.R. 294(E).**—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, in Schedule-I,—
- (a) in Form F1 and Form G1, in the table under the sub-heading "@Grades of ROM ore dispatched:", for the rows titled "Iron Ore" and the corresponding entries relating thereto, the following shall respectively be substituted, namely:—

"MINERAL	GRADES
Iron ore	(a) Below 45% Fe ROM (For Magnetite Ore only)
	(b) 45% to below 51% Fe ROM
	(c) 51% to below 55% Fe ROM
	(d) 55% to below 58% Fe ROM
	(e) 58% to below 60% Fe ROM
	(f) 60% to below 62% Fe ROM
	(g) 62% to below 65% Fe ROM
	(h) 65% and above Fe ROM";

- (b) in Form F1, Form G1, Form L and Form M,—
- (i) in the table under the sub-heading "**Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):", for the rows titled "Iron Ore" and the corresponding entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"MINERAL	GRADES
Iron ore	(i) Lumps:
	(a) Below 45% Fe (For Magnetite Ore only)
	(b) 45% to below 51% Fe
	(c) 51% to below 55% Fe
	(d) 55% to below 58% Fe
	(e) 58% to below 60% Fe
	(f) 60% to below 62% Fe
	(g) 62% to below 65% Fe
	(h) 65% and above Fe
	(ii) Fines:
	(a) Below 45% Fe (For Magnetite Ore only)
	(b) 45% to below 51% Fe
	(c) 51% to below 55% Fe
	(d) 55% to below 58% Fe
	(e) 58% to below 60% Fe
	(f) 60% to below 62% Fe
	(g) 62% to below 65% Fe
	(h) 65% and above Fe
	(iii) Concentrates
	(iv) Calibrated Lump Ore (CLO)
	(Quantity already reported in Lumps should not be reported against CLO
	(a) Below 62% Fe (CLO any size)
	(b) 62% to below 65% Fe (5-18 mm size CLO)
	(c) 62% to below 65% Fe (10-40 mm size CLO)
	(d) 62% to below 65% Fe (CLO others)
	(e) 65% and above Fe (5-18 mm size CLO)
	(f) 65% and above Fe (10-40 mm size CLO)
	(g) 65% and above Fe (CLO others)".

(ii) at the end of the table, the following Note shall be inserted, namely:—

"Note.— Any kind of Hematite Iron Ore below 45% Fe, but above threshold value, shall be included in the grade slab of '45% to below 51% Fe'."

[F. No. M.VI-16/130/2021-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note : The Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 169(E), dated the 27th February, 2017 and lastly amended *vide* number G.S.R 780(E), dated 3rd November, 2021.